कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, गांधी मैदान के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395; ई-मेल :- dc_rmc@rediffmail.com

क्रमांकः 459/मुख्यालय / नपानि / 2016 रायपुर, दिनांक : 11 / 07/ 2016

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (E.O.I.)

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र अंतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहे / उद्यान / सार्वजनिक स्थल / बाजार में एकल अथवा दो यूनिट पुरूष एवं महिला हेतु गुमटीनुमा रेडीमेड (प्रति यूनिट अनुमानित क्षेत्र 4फीट x 4फीट) मूत्रालय स्थापित किया जाना है। उक्त मूत्रालय भविष्य में आवश्कतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से परिर्वतनीय होना चाहिए। इस हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि आंमत्रित की जाती है। संबंधित संस्था / कम्पनी / निर्माणकर्ता इस हेतु अपनी दरें (सभी कर सहित एवं प्रस्तावित स्थल पर स्थापित कर) स्वयं के लेटर हैड में संस्था / कम्पनी / निर्माणकर्ता के रबर स्टैम्प की मुहर लगाकर बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 22.07.2016 तक प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ संस्था के जीवित पंजीयन की सत्यापित प्रति, मूत्रालय बाबत् स्पेसिकेशन एवं ड्राइंग तथा राशि रू. 10,000/- का एफडीआर (प्रारंभिक सुरक्षा राशि) जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से देय हो, जमा करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज एवं एफडीआर के अभाव में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। श्रेष्ठ मूत्रालय का चयन अनुभवी, उसके निर्माण एवं सामाग्री, टिकाऊपन तथा लागत राशि के आधार पर समिति द्वारा किया जायेगा। कार्य बाबत् अन्य जानकारियां, नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यपालन अभियंता (योजना) के कक्ष क. 409 मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

o/c

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम, रायपुर

शहर के विभिन्न स्थानो पर मूत्रालय स्थापित करने हेतु आवश्यक शर्तेः–

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र अंतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहे/उद्यान/सार्वजनिक स्थल/बाजार में एकल अथवा दो यूनिट पुरूष एवं महिला हेतु गुमटीनुमा रेडीमेड (प्रति यूनिट अनुमानित क्षेत्र 4फीट X 4फीट) मूत्रालय स्थापित किया जाना है। इस हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि आमंत्रित है :–

1. कार्य हेतु आवेदन जमा करने के साथ ही साथ राशि रू. 10,000/– अमानती राशि, एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। जिसके अभाव में संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
2. नगर पालिक निगम द्वारा प्रथम चरण में 100 स्थानो पर पुरूष एवं महिला मूत्रालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
3. संस्था/कम्पनी /निर्माणकर्ता का जीवित पंजीयन ई.ओ.आई. जारी दिनांक तक केन्द्र/राज्य शासन अथवा किसी सरकारी प्रतिष्ठान से होना आवश्यक है। जिसके अभाव में संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
4. इस प्रकार के कार्य हेतु अनुभवी संस्था/कम्पनी /निर्माणकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी। इस बाबत् संस्था को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. संबंधित संस्था/कम्पनी/निर्माणकर्ता इस हेतु अपनी दरें (सभी कर सहित एवं प्रस्तावित स्थल पर लगाकर) बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जानी है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन खोले नही जायेगे।
6. आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 22.07.2016 तक है। इस तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होगें।
7. प्राप्त आवेदन अगले दिवस उपस्थित आवेदनकर्ताओं के सम्मुख खोला जायेगा।
8. कार्य निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करना होगा। यदि इसका पालन नही किया गया तो संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर पालिक निगम, रायपुर

शहर के विभिन्न स्थानो पर मूत्रालय स्थापित करने हेतु आवश्यक शर्तेः–

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र अंतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहे/उद्यान/सार्वजनिक स्थल/बाजार में एकल अथवा दो यूनिट पुरूष एवं महिला हेतु गुमटीनुमा रेडीमेड (प्रति यूनिट अनुमानित क्षेत्र 4फीट X 4फीट) मूत्रालय स्थापित किया जाना है। इस हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि आमंत्रित है :–

1. कार्य हेतु आवेदन जमा करने के साथ ही साथ राशि रू. 10,000/– अमानती राशि, एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। जिसके अभाव में संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
2. नगर पालिक निगम द्वारा प्रथम चरण में 100 स्थानो पर पुरूष एवं महिला मूत्रालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
3. संस्था/कम्पनी /निर्माणकर्ता का जीवित पंजीयन ई.ओ.आई. जारी दिनांक तक केन्द्र/राज्य शासन अथवा किसी सरकारी प्रतिष्ठान से होना आवश्यक है। जिसके अभाव में संबंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
4. इस प्रकार के कार्य हेतु अनुभवी संस्था/कम्पनी /निर्माणकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी। इस बाबत् संस्था को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. संबंधित संस्था/कम्पनी/निर्माणकर्ता इस हेतु अपनी दरें (सभी कर सहित एवं प्रस्तावित स्थल पर लगाकर) बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जानी है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन खोले नही जायेगे।
6. आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 22.07.2016 तक है। इस तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होगें।
7. प्राप्त आवेदन अगले दिवस उपस्थित आवेदनकर्ताओं के सम्मुख खोला जायेगा।
8. कार्य निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करना होगा। यदि इसका पालन नही किया गया तो संबंधित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, रायपुर